पांचू बनाम लाधू धारा 88

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री लाखाराम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 05/2022

वादीनी

1. पांचू देवी पुत्री जोधाराम, जाति विश्नोई, निवासी मीठड़ा खुर्द, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. लाधूराम पुत्र जोधाराम
2. अन्नाराम पुत्र जोधाराम
3. सुखराम पुत्र जोधाराम
4. चनणाराम पुत्र खानूराम
5. लाडूराम पुत्र खानूराम
6. जोराराम पुत्र सावंताराम
7. भाखराराम पुत्र सांवताराम
8. सदराराम पुत्र सांवताराम
9. हरीकिशन पुत्र सांवताराम
10. पूनमा पुत्र काछबा
11. सुरता पुत्र काछबा, सभी जातियान विश्नोई, निवासी मिठड़ा खुर्द, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।
12. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ोदा, धोरीमन्ना।
13. तहसीलदार, धोरीमन्ना।

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 91, 92क व 188 काश्तकारी अधिनियम धारा 6 व 8 हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम वास्ते बंटवारा एवं निषेधाज्ञा

तारीख रजू:– 27/01/22

अधिवक्ता:–

01. श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता वादीनी

–::निर्णय::–

दिनांक:– 08/08/23

वादीनी की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश विश्नोई द्वारा राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 88, 91, 92क, 188 काश्तकारी अधिनियम धारा 6 व 8 हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम वास्ते बंटवाड़ा एवं निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादीनी व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का खानदानी सजरा निम्नलिखित है जो हिन्दू होने से हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा से प्रशासित होते हैं –

सजरा

भोमा
↓
काछबा
↓
जोधाराम
↓
लाधू | पांचू | अन्ना | सुखराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:22:15 IST
Reason: SelfAttested

08.08.23
सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

यह है कि वक्त सेटलमेंट जोधाराम के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ जोधाराम के कुल चार जायंदा संतान पैदा हुई तथा जोधा के फौतगी पर चारों संतानों के नाम दर्ज होना था परंतु प्रतिवादी संख्या 01 से 03 ने षडयंत्र पूर्व वादीनी का नाम दर्ज नहीं करवाने के बजाय अपने नाम करवा दिया जबकि जोधा की फौतगी पर वादीनी का नाम दर्ज किया जाना था। ग्राम मीठड़ा खुर्द पटवार हल्का मीठड़ा खुर्द तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा संख्या 499, 570 क्षेत्रफल क्रमशः 17.6119, 3.2375 हैक्टेयर व ग्राम लाखोलाई नाडी पटवार हल्का मीठड़ा खुर्द तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा संख्या 520/1 क्षेत्रफल 3.0756 हैक्टेयर जो वक्त सेटलमेंट जोधा पुत्र काछबा के नाम अमल बरामद हुई जो वादीनी के पिता के नाम की पैतृक भूमि होने से वादीनी अपना 1/4 हिस्सा दर्ज करवाने की अधिकारिणी थी परंतु जोधाराम के फौत होने पर जोधाराम के पुत्रों ने धोखाधड़ी व षडयंत्र से वादीनी का नाम दर्ज नहीं करवाया जबकि वादीनी का नाम नामांतरकरण में दर्ज होना था इसीलिए वादीनी उक्त आराजी में अपने पिता जोधा के हिस्से की भूमि में 1/4 हिस्सा घोपित करवाने की अधिकारिणी है तथा इसी अनुसार घोषित करवाने हेतु यह घोषणा का वाद पेश है। वादीनी के पिता जोधाराम के नाम से पटवार हल्का मिठड़ा खुर्द के राजस्व ग्राम लाखोलाई नाड़ी के खेत खसरा संख्या 520/1 क्षेत्रफल 3.0756 हैक्टेयर में जोधा के नाम से पुरा खसरा होने से वादीनी का 1/4 हिस्सा तथा राजस्व ग्राम मिठड़ा खुर्द के खेत खसरा संख्या 499, 570 क्षेत्रफल क्रमशः 17.6119, 3.2375 हैक्टेयर में जोधा का 1/5 हिस्सा होने से वादीनी का 1/20 हिस्सा घोपित करवाने की अधिकारिणी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ सह खातेदार के रूप में अपना नाम दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। वादीनी की उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी वादीनी के पिता जोधाराम के नाम की पुश्तैनी भूमि होने से वादीनी का जन्म से ही उक्त आराजी में हिस्सा निहित हो गया तथा वादीनी का अनवरत रूप से कब्जा व निवास चला आ रहा है परंतु जोधा के वर्ष 2006 में फौत होने पर वादीनी का नाम दर्ज नहीं करवाया वादीनी अनपढ़ होने से इस बात की जानकारी नहीं हो पाई क्योंकि प्रतिवादीगण ने वादीनी के पिता के फौत होने के छः माह बाद चुपके से नामांतरकरण पारित करवाया वादीनी को दो माह पूर्व प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी में नहीं घुसने देने व अपने नाम होने का फायदा उठाकर अपनी पुत्रवधुओं के नाम करवाने की धमकी दी तब वादीनी को अपने हक पर शंका होने पर वादीनी ने राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त की तब वादीनी को उक्त धोखाधड़ी से अपने नाम नहीं होने का ज्ञान हुआ तब वादीनी ने यह घोषणा का वाद श्रीमान जी के समक्ष पेश किया जिसमें अपना हिस्सा घोषित करवाने की अधिकारिणी है। विवादग्रस्त आराजी में षडयंत्र पूर्वक प्रतिवादीगण के नाम करवाने के बाद कुछ समय तक चुपके से बात किसी को नहीं बतायी परंतु अरसा कुछ दिन पूर्व उक्त आराजी आगे बेचाण करने व बिना प्रतिफल पुत्रवधुओं के नाम कर भूमि खुर्द-बुर्द करने की धमकी दी तथा वादीनी को बे[illegible] की कोशिश की इसीलिए वादीनी के हक हिस्से की भूमि आगे से आगे [illegible] हिस्से के कब्जा काश्त से बेदखल करने या बैचाण करने के मकसद में [illegible] हैं तो वादीनी अपने पैतृक हक हिस्से से हमेशा के लिए महरूम रह जाएगी तथा वादीनी [illegible] अपूरणीय क्षति होगी साथ ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादीनी का अपनी पैतृक आराजी में उसके जन्म के साथ ही हक हिस्सा उत्पन्न हो गया तथा मिश्ल बंदोबस्त वादीनी के दादा के नाम से जारी होने तथा सुविधा का संतुलन वादीनी के पक्ष में प्रमाणित होने से विवाद ग्रस्त आराजी को बैचाण रहन, हस्तांतरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:22:15 IST
Reason: SelfAttested

08.08.23
सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

इत्यादि नहीं करने व मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाए रखने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा पाने की अधिकारीणी होने से यह स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश है। विनायदावा बमुकाम ग्राम मिठड़ा खुर्द व लाखोलाई नाड़ी पटवार हल्का मिठड़ा खुर्द तहसील धोरीमन्ना में जब वादग्रस्त भूमि पूर्वज जसवंता के नाम थी तब उसके पश्चात वादीनी व प्रतिवादीगण के नाम होनी थी और प्रतिवादीगण ने षडयंत्र पूर्वक वादीनी का नाम दर्ज नहीं करवाकर अपने नाम करवा दी तथा उन्होंने अर्शा 04 दिन पूर्व वादीनी को बेदखल व बैचान करने की धमकी दी तब तब बमुकाम ग्राम मिठड़ा खुर्द व लाखोलाई नाड़ी पटवार हल्का मिठड़ा खुर्द तहसील धोरीमन्ना में पैदा हुआ। तहसीलदार भूमिपति होने से तहसीलदार धोरीमन्ना को प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया हैं तथा विवादग्रस्त आराजी बैंक में रहन होने से प्रतिवादी पक्षकार बनाया है जिससे इनसे कोई इस्तदुआ नहीं चाहने से उन्हें धारा 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया गया है। यह है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम मिठड़ा खुर्द व लाखोलाई नाड़ी पटवार हल्का मिठड़ा खुर्द तहसील धोरीमन्ना में स्थित होने एवं वादकरण ग्राम मिठड़ा खुर्द व लाखोलाई नाड़ी पटवार हल्का मिठड़ा खुर्द तहसील धोरीमना में उत्पन्न होने से यह वाद माननीय न्यायालय के आर्थिक व स्थानीय क्षेत्राधिकार का है। यह है कि यह वाद धारा 88, 91, 92क, 188 रा.का.अधि. के तहत होने से निश्चित कोर्ट फीस रुपए 4/– के स्टाम्प पेश है। यह है कि वादीनी की इस्तदुआ है कि निम्नांकित डिक्री बहक वादीनी एवं खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे :– ग्राम मीठड़ा खुर्द पटवार हल्का मीठड़ा खुर्द तहसील धोरीमना के खेत खसरा संख्या 499, 570 क्षेत्रफल कमशः 17.6119, 3.2375 हैक्टेयर में 1/20 हिस्सा व ग्राम लाखोलाई नाड़ी पटवार हल्का मीठड़ा खुर्द तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा संख्या 520/1 क्षेत्रफल 3.0756 हैक्टेयर में वादीनी का 1/4 हिस्सा घोषित किया जावे। वादग्रस्त खेतों में इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जावे कि वादीनी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं की जावें तथा बैचान हस्तांतरण रहन नहीं किया जावे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर मौका व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाए रखें। वाद का खर्चा वादीनी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

वादपत्र को दर्ज रजि0 किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये रजि0 डाक तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 13 बावजूद सम्यक तामिल के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये, तथा पत्रावली को वादी साक्ष्य में नियत किया गया, साक्ष्य वादी के दौरान विभिन्न दस्तावेजों को प्रदर्श किया गया, वादी साक्ष्य के दौरान वादीनी पांचूदेवी के साक्ष्य शपथ–पत्र को पीडब्ल्यू –01 तथा गवाह जयकिशन पुत्र लादूराम के साक्ष्य शपथ–पत्र को पीडब्ल्यू –02 पेश किये गये, जिन्हें सामिल पत्रावली किया गया, तथा दोनों के बयानों को कलमबद्व किया गया। साक्ष्य वादी के दौरान राजस्व मौजा–मीठड़ा खुर्द तहसील–धोरीमना के खाता संख्या 80 के खसरा संख्या 499 रकबा 17.6119 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम की वर्तमान जमाबंदी को प्रदर्श पी–01,राजस्व मौजा– मीठड़ा खुर्द तहसील–धोरीमना के खाता संख्या 80 के खसरा संख्या बकी वर्तमान जमाबंदी को प्रदर्श पी.–02, नामान्तरण संख्या 8 पटवार हल्का–मीठड़ा खुर्द को प्रदर्श पी–03, खतौनी बंदोबस्त सम्वतृ 2012–31 खसरा संख्या 499,570 को प्रदर्श पी–04, आधार कार्ड वादीनी को प्रदर्श पी–05 ए,आधार कार्ड गवाह को प्रदर्श पी–06 ए, वर्तमान जमाबंदी खसरा संख्या 520/1 रकबा 3.0756 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम को प्रदर्श पी–07 दर्ज किया गया। अधिवक्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:22:15 IST
Reason: SelfAttested

08.08.23

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

वादीनी द्वारा पत्रावली पर ओर साक्ष्य पेश नही करने का कथन करने पर साक्ष्य वादी को बंद किया गया तथा पत्रावली को बहस में नियत किया गया।

अधिवक्ता वादीनी की बहस को हमने विस्तार पूर्वक सुना तथा उस पर मनन किया। हमने पत्रावली तथा विभिन्न प्रदर्शित दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन तथा अवलोकन किया । पत्रावली के साथ संलग्न प्रदर्श पी–04 के अध्ययन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 499 एवं 570 वादीनी के पिता जोधाराम के वक्त सेटलमेंट से सहखातेदारी में दर्ज है अर्थात इससे स्पष्ट है कि खंसरा संख्या 499 एवम् 570 पैतृक एवम् पुश्तैनी है। प्रदर्श पी–03 नामान्तरकरण संख्या 108 लाखोलाई नाडी के अध्ययन से स्पष्ट है कि खसरा 520/1 रकबा 19.00बीघा जोधाराम पुत्र काछबाराम का था। तथा जोधा के फौत होने पर उक्त नामान्तरकरण उसके पुत्रों के पक्ष में निष्पादित किया गया। चूंकि वादीनी द्वारा शपथ–पत्र यह कथन किये है कि वह जोधाराम की पुत्री है अतः इस स्थिति में जोधाराम के वक्त फौतगी आराजी में 1/4 हिस्से का अधिकार अपने भाईयों के साथ था अतः खसरा संख्या 520/1 रकबा 3.0756 हैक्टेयर में वादीनी को 1/4 हिस्से का तथा खसरा संख्या 499 रकबा 17.6119 हैक्टेयर में 1/20 हिस्से का तथा खसरा संख्या 570 रकबा 3.2375 हैक्टेयर में 1/20 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित एवम् विधिसंगत समझते है।

–:: आदेश::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद, वादीया अंतर्गत धारा 88,91,92 क,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजाः– मीठड़ा खुर्द तहसील–धोरीमना के खाता संख्या 80 के खसरा संख्या 499 रकबा 17.6119 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 570 रकबा 3.2375 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में वादीनी को 1/20 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुरूप प्रतिवादी संख्या 01,02,03, के राजस्व रेकर्ड में दर्ज 1/15 – 1/15 हिस्सों के स्थान पर 1/20–1/20 हिस्से दर्ज करने के आदेश दिये जाते है एवं सरहद मौजा–लाखोलाई नाडी पटवार हल्का मीठड़ा खुर्द तहसील धोरीमना के खसरा संख्या 520/1 रकबा 3.0756 हैक्टेयर किस्म– बारानी सोयम में वादीनी को 1/4 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुरूप प्रतिवादी संख्या 01,02,03, के राजस्व रेकर्ड में दर्ज 1/3 – 1/3 हिस्सों के स्थान पर 1/4–1/4 हिस्से दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैतहसीलदार, धोरीमन्ना को निर्देशित किया जाता है कि भू–अभिलेख में इसी मुताबिक अमल दरामद करें। इसी कदर वादपत्र बहक वादीनी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है, पर्चा डिक्री पृथक् से जारी होकर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

08.08.23

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:22:15 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक– 08/08/23 को खुले इजलास में सुनाया गया।

08.08.23

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम धोरीमन्ना
बईजलास :–श्री लाखाराम, आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. पांचू देवी पुत्री जोधाराम, जाति विश्नोई, निवासी मीठड़ा खुर्द, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।		1. लाधूराम पुत्र जोधाराम 2. अन्नाराम पुत्र जोधाराम 3. सुखराम पुत्र जोधाराम 4. चनणाराम पुत्र खानूराम 5. लाडूराम पुत्र खानूराम 6. जोराराम पुत्र सावंताराम 7. भाखराराम पुत्र सांवताराम 8. सदराराम पुत्र सांवताराम 9. हरीकिशन पुत्र सांवताराम 10. पूनमा पुत्र काछबा 11. सुरता पुत्र काछबा, सभी जातियान विश्नोई, निवासी मिठड़ा खुर्द, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर। 12. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ोदा, धोरीमन्ना। 13. तहसीलदार, धोरीमन्ना।

मुकदमा नम्बर :– 05/2022
दावा बाबत् :– राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रू–ब–रू पक्षकारान व हाजरी उपस्थित मिनजानिब मुदई वादीनी वकील उपस्थित होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद **वादीया अंतर्गत धारा 88,91,92 क,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजाः– मीठड़ा खूर्द तहसील–धोरीमना के खाता संख्या 80 के खसरा संख्या 499 रकबा 17.6119 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 570 रकबा 3. 2375 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में वादीनी को 1/20 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुरूप प्रतिवादी संख्या 01,02,03, के राजस्व रेकर्ड में दर्ज 1/15 – 1/15 हिस्सों के स्थान पर 1/20–1/20 हिस्से दर्ज करने के आदेश दिये जाते है एवं सरहद मौजा–लाखोलाई नाडी पटवार हल्का मीठड़ा खुर्द तहसील धोरीमना के खसरा संख्या 520/1 रकबा 3.0756 हैक्टेयर किस्म– बारानी सोयम में वादीनी को 1/4 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुरूप प्रतिवादी संख्या 01,02,03, के राजस्व रेकर्ड में दर्ज 1/3 – 1/3 हिस्सों के स्थान पर 1/4–1/4 हिस्से दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैतहसीलदार, धोरीमन्ना को निर्देशित किया जाता है कि [illegible] मुताबिक अमल दरामद करें। इसी कदर वादपत्र बहक वादीनी विरुद्ध प्रतिवादीगण [illegible] किया जाता है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:22:15 IST
Reason: SelfAttested

नीज..............–...............मुबलिक [illegible] –..........खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर.....–.........फीस सदी सालाना [illegible] की तारीख [illegible] तक .....–............को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 08/08/23 को सरे ईजलास जारी किया गया।

मोहर

08/08/23

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)